न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 98/2019 (RCMS : 2019/00177) अनवान 1. तरसेम सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. रविन्द्र सिंह पुत्र प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवीस गदरखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वगैरहा (139) एवं सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी रविन्द्र सिंह बनाम तरसेम सिंह मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 92(ए), 88, 53, 188 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर